



2026:AHC:170319

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 23993/2026

मुकुंद त्रिपाठी उर्फ प्रवीण देव एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गणेश मणि

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश मणि एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पी. त्रिपाठी को सुना।
2. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्तागण, प्रतिवाद करने वाले प्रत्युत्तरदाता के पुत्र हैं।
3. प्रतिवाद करने वाले प्रत्युत्तरदाता ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7(1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की थी और विहित प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से उक्त याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया था। उक्त आदेश का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"उपर्युक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 को निर्देशित किया जाता है कि वादिनी को माह की 10 तारीख के पूर्व 2500रु0-2500रु0 प्रतिमाह हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें तथा मकान नम्बर 34 गायत्री नगर सनिगवां थाना चकेरी कानपुर नगर में शान्तिपूर्वक अध्यासन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाये और न ही वादिनी को शारीरिक व

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाये। इसके साथ थानाध्यक्ष चकेरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को वादिनी द्वारा मकान में यदि शान्तिपूर्वक अध्यासन में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है एवं वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो प्रतिवादीगण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जांच कर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे की वरिष्ठ नागरिक अपनी अर्जित की हुई सम्पत्ति का शान्तिपूर्वक उपभोग कर सकें तथा अपनी जीवन एवं सम्पत्ति का संरक्षण कर सकें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।"

4. याचिकाकर्तागण ने तत्पश्चात एक अपील योजित की थी जिसे आदेश दिनांक 20.04.2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा गया है कि अवर न्यायालय में विचाराधीन वाद में वादिनी द्वारा गुजारा भत्ता नहीं याचित किये बिना गुजारा भत्ता का आदेश विधि विरुद्ध है वादिनी अधिवक्ता है एव मूल गाँव मुनवर्पा इटावा की सम्पूर्ण खेती व बाग बेंच दिया जिसका समस्त पैसा वादिनी के पास है विपक्षी ए०डब्ल्यू०एल० आयुर्वेदिक कम्पनी से संलग्न है उसने समय समय पर मेम्बर बना कर एक मुश्त बड़ी धनराशि अर्जित की है। उल्लेखनीय है कि-

भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित यथा स्थिति कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपीलीय अधिकरण को अपील कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शुद्ध माता पिता को ही अपील करने के अधिकार प्राप्त है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 में भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लेख किया गया है कि वादिनी द्वारा याचित उपशम के अंतर्गत मकान को खाली कराये जाने का अधिकार अवर न्यायालय के पास नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है अगर किसी परिवार में सम्पत्ति को लेकर माता पिता और बच्चा के बीच झगडा हो तो ऐसे झगडो का निस्तारण माता पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भरण पोषण से सम्बंधित न होकर पारिवारिक विवाद से सम्बंधित है। अवर न्यायालय द्वारा संदर्भित आदेश में अपीलार्थी को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी सं० 01 व 03 माह की 10 तारीख के पूर्व 2500 रु 2500/ वादिनी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित एवं उसके शान्तिपूर्वक अध्यासन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न उत्पन्न करें और न ही वादी को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित किया जाये इसके साथ थानाध्यक्ष चकेरी को निर्देशित किया गया है कि यदि वादिनी के शान्ति पूर्व अध्यासन में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है और मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित किया जाता है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध उ०प्र० भरण-पोषण कल्याण नियमावली 2014 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो प्रयोग करते हुये जाँचकर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करे जिससे की वरिष्ठ नागरिक अपनी अर्जित की हुई सम्पत्ति का शान्ति पूर्वक उपभोग व संरक्षण कर सके।

इस प्रकार अवर न्यायालय उपजिलाधिकारी (सदर), कानपुर नगर द्वारा निर्णीत वाद सं० टी 202403410132043 बीना त्रिपाठी बनाम शिव प्रकाश त्रिपाठी में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुये प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाना न्यायलचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त एवं विवेचना एवं तथ्यों के आधार पर मुकुन्द त्रिपाठी उर्फ प्रवीण देव आदि पुत्र स्व प्रकाश नारायण त्रिपाठी निवासी 334 भाभा नगर थाना चकेरी कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा-16 माता-पिता एवम् वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम-2007 विधिक रुप से पोषणीय न पाते हुये निरस्त की जाती है। आदेश की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अवर न्यायालय को प्रेषित हो। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही निक्षेप अभिलेखागार हो।"

5. उपर्युक्त दोनों आदेशों को इस रिट याचिका में आक्षेपित किया गया है।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रतिवाद करने वाली प्रत्युत्तरदाता उनकी सौतेली माँ हैं। वह एक वकालत करने वाली अधिवक्ता हैं और सामान्यतः अपने छोटे पुत्र के साथ मकान नंबर 34, गायत्री नगर, सनिगवां, थाना चकेरी, जिला कानपुर नगर में किराए पर रह रही हैं। उन्होंने उनके पिता की संपत्ति बेच दी है और उसकी विक्रय प्रतिफल धनराशि प्राप्त कर ली है। उन्हें याचिकाकर्तागण से किसी भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सम्मानजनक ढंग से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं।

7. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रतिवाद करने वाली प्रत्युत्तरदाता अपने छोटे पुत्र के प्रभाव में हैं और इसके पश्चात् कि वह उपर्युक्त पते पर रह रही हैं तथा याचिकाकर्तागण मकान नंबर 334, भाभा नगर, थाना चकेरी, जिला कानपुर नगर में रह रहे हैं, इसलिए यह कोई भी आरोप कि याचिकाकर्तागण अपनी माँ के अध्यासन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, न्यायसंगत नहीं है।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जब भी प्रत्युत्तरदाता उक्त परिसर का दौरा करती हैं, याचिकाकर्तागण अपनी माँ को उपर्युक्त संदर्भित परिसर में, जिसमें 4 कमरे सम्मिलित हैं, रहने के लिए एक कमरा देने को तैयार हैं और इसलिए मासिक भरण-पोषण के आदेश को अपास्त किया जाए।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता पर निर्धारित की गई 2500/- रुपये की धनराशि अधिक है क्योंकि उनकी मासिक आय उतनी नहीं है, यद्यपि कुछ समय तक तर्क करने के पश्चात्, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो आदेश की तिथि अर्थात् 04.12.2024 से आज तक (22 महीनों के लिए) की बकाया धनराशि, जो लगभग 1.1 लाख रुपये है, उसे आसान मासिक किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और वे दिनांक 01.10.2026 से नियमित रूप से निर्धारित धनराशि का भुगतान करने का वचन देंगे।

10. न्यायालय पाता है कि उपर्युक्त आश्वासन वास्तविक है। जहाँ तक इस प्रकरण के गुण-दोष का संबंध है, न्यायालय पाता है कि केवल इस आधार पर कि प्रतिवाद करने वाली प्रत्युत्तरदाता अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती क्योंकि यह धनराशि बहुत अधिक नहीं है और न ही निष्कासन (बेदखली) का कोई आदेश है, इसलिए न्यायालय उपर्युक्त संदर्भित वचनपत्र को संज्ञान में लेता है और यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्तागण दिनांक 01.10.2026 से नियमित रूप से अपने निर्धारित दायित्व का भुगतान करेंगे। जहाँ तक बकाया धनराशि का संबंध है, उसका भुगतान 18 मासिक किश्तों में किया जाएगा जो दिनांक 01.11.2026 से प्रारंभ होगी।

11. आदेश की उपरोक्त प्रकृति के दृष्टिगत प्रतिवाद करने वाली प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका अधिकार सुरक्षित है।

12. उपर्युक्त अवलोकनों/निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी)

13 अगस्त, 2026

एसबी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।